Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.01.21	<u>विभाजन वाद सं0 09 / 2018</u> मुदालय की ओर से दिनांक 13.08.2019 को बयान तहरीरी में संशोधन हेतु आदेश 6 नियम 17 धारा 151 c.p.c के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथित किया गया कि दस्तावेज प्राप्त होने पर बयान तहरीरी में संशोधन किया जाना आवश्यक है। ऐसा संशोधन बयान तहरीरी में स्पष्ट करने वाली है इससे वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल कर कथित किया गया कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन खारिज योग्य है तथा मुदई को प्रभावित करने वाला है जिससे मुदई को काफी क्षति होगा तथा मुदालय लोगों का बयान तहरीरी स्वीकृत होने के पहले से संशोधन आवेदन दिया गया है जिससे यह पूरा आवेदन खारिज करने योग्य है। दोनों पक्षों को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किए है जिससे 500 खर्च स्वीकृत किया गया है जिसका खर्च की राशि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिवादी बयान तहरीरी में दिया गया संशोधन स्पष्ट करने वाला है एवं वादीगण को कोई प्रभावित करने वाला नहीं है तथा इस वाद में वाद बिन्दु का भी निर्धारण नहीं किया गया है इसलिए न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 13.08.2019 को 500 रुपया खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। वास्ते दिनांक 08.02.2021 वादी खर्चे की राशि अदा करें। लेखापित अवर न्यायाधीश	